

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-327/88/अलेसे-11 599

दिनांक- 20.6.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.06.2018 द्वारा श्री श्रीकिशन शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) पंचायती राज विभाग, चूरु से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग चूरु में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री श्रीकिशन शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री श्रीकिशन शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-327/88/अलेसे-11 599

दिनांक- 20.6.18

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) पंचायती राज विभाग, चूरु।
2. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग चूरु।
3. श्री श्रीकिशन शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) पंचायती राज विभाग, चूरु।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दाबास)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)